झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2 झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखंड अधिनियम, 07, 2007) की धारा–5(1)(ख) का प्रतिस्थापन तथा धारा 5(ज) को अंतःस्थापित करना।

3 झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा–8 के अंत में उपधारा–7 का अंतःस्थापन।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–15 के लिये निर्धारित राज्य राजकोषीय समेकित नीति के अनुरूप झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–**

(i) यह अधिनियम झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2007) की धारा 5(1)(ख) का प्रतिस्थापन तथा धारा 5(ज) को अंतः स्थापित करना।**

(i) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा 5(1)(ख) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :–

"दिनांक 31 मार्च, 2012 की समाप्ति पर राजकोषीय घाटे को घटाकर अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% (तीन प्रतिशत) तक सीमित करना।"

(ii) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा 5 के अंत में उपधारा 5(ज) निम्नवत् अंतः स्थापित की जायेगी, यथा :–

"राज्य के बकाया देनदारियों एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्षवार निम्नवत् प्राप्त करना।"

बकाया देनदारी लक्ष्य

(जी०एस०डी०पी० के % में)

वित्तीय वर्ष	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
लक्ष्य	29	28.5	27.8	27.3	26.9

3. **झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंत में उपधारा 7 का अंतः स्थापन।**

''राजकोषीय सुधार हेतु निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्ति, इसके सतत् अनुश्रवण तथा बकाया देनदारियों की स्थिति की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की जायेगी। समिति की रूपरेखा, सदस्यों की संख्या, सदस्यों का चयन, कार्य पद्धति तथा समिति के कार्यालय के स्वरूप के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये राज्य सरकार यथा विहित नियमावली बनायेगी।''

यह विधेयक झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 30 अगस्त, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 30 अगस्त, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 52--50--14-9-2011 ।